

31/3/2022

प्राची के वकील उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। चूंकी
मूल अपील आज निर्णित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्राची
का यह स्पष्टन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से खारीज
किए जाने योग्य है। अतः प्राची का प्रार्थना पत्र इसी
स्तर पर खारीज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।
पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम दो।

आति. जिला कलक्टर
बिरोही (राज.)

